प्रेस नोट दि0-26.02.2026

प्रेस नोट दि0-26.02.2026
थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़

धर्म संपरिवर्तन प्रकरण में थाना जेठवारा पुलिस, स्वाट व सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही — ₹25,000-₹25,000 के 03 ईनामिया अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में धर्म संपरिवर्तन प्रकरण में बड़ी संयुक्त कार्रवाई — थाना जेठवारा, स्वाट व सर्विलांस टीम द्वारा ₹25,000-₹25,000 के 03 ईनामिया अभियुक्तों को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत तान्त्रिक चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 22.02.2026 को थाना जेठवारा पर प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई, जिसमें ज्ञात हुआ कि निवासी पथरिया, थाना सागर, जिला सागर (मध्य प्रदेश) को ग्राम कुटिलिया निवासी बदरुल जमा पुत्र रफीउजमा द्वारा अपने पास रखा गया था तथा उसका धर्म परिवर्तन कराए जाने का आरोप है। पीड़ित द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वह बचपन से ही अपने परिजनों से अलग रह रहा है तथा लगभग 12 वर्ष से बदरुल जमा के यहां निवासरत है। लगभग 04 वर्ष पूर्व बदरूल जमा पुत्र रफीउजमा, कल्लू पुत्र मुनीर, नईम पुत्र मुनीर निवासी गढ़ कुटिया सेंडदेई, निजाम पुत्र जैनुद्दीन (वर्तमान मौलाना, दाउदनगर मस्जिद) एवं 05-06 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसका धर्म परिवर्तन कर उसका नाम शेर खान पुत्र उमर रख दिया गया। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं 42/2026 धारा 3 (5)/115 (2)/352/351 (3)/127 (2)/ 319 (2)/318 (4)/338/336 (3)/340 (2) बीएनएस व 3/5 (1) उत्तर प्रदेश विधि विरुध्द धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के अंतर्गत 04 नामजद एवं 05-06 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण/ नेतृत्व में था ना प्रभारी जेठवारा श्री विजय कान्त सत्यार्थी मय हमराह व स्वाट टीम प्रभारी उपनिरीक्षक श्री अमित कुमार चौरसिया मय हमराह/ सर्विलांस टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना जेठवारा पंजीकृत मु0अ0सं 42/2026 धारा 3 (5)/115 (2)/352/351 (3)/127 (2)/ 319 (2)/318 (4)/338/336 (3)/340 (2) बीएनएस व 3/5 (1) उत्तर प्रदेश विधि विरुध्द धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 202 थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 25000-250000/- रुपये के ईनामिया 03 अभियुक्तों 1. निजामुद्दीन उर्फ निजाम पुत्र जैनुद्दीन उम्र करीब 33 वर्ष निवासी ग्राम कुटिलिया थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़, 2. सफीउज्जमा उर्फ कल्लू पुत्र मो0 मुनीर उम्र करीब 65 वर्ष नि० ग्राम कुटिलिया थाना जेठवारा प्रतापगढ़, 3. नईमुद्दीन उर्फनईम पुत्र मो0 मुनीर उम्र करीब 60 वर्ष निवासी ग्राम कुटिलिया थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ को थाना जेठवारा क्षेत्रातंर्गत तान्त्रिक चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

ईनामिया गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. **निजामुद्दीन उर्फ निजाम पुत्र जैनुद्दीन उम्र करीब 33 वर्ष निवासी ग्राम कुटिलिया थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।**
2. **सफीउज्जमा उर्फ कल्लू पुत्र मो0 मुनीर उम्र करीब 65 वर्ष नि० ग्राम कुटिलिया थाना जेठवारा प्रतापगढ़।**
3. **नईमुद्दीन उर्फनईम पुत्र मो0 मुनीर उम्र करीब 60 वर्ष निवासी ग्राम कुटिलिया थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।**

पुलिस टीम-
प्रभारी निरीक्षक श्री विजयकान्त सत्यार्थी मय हमराह व0उ0नि0 एहसानुल हुक खां, का0 अर्पित त्रिपाठी मय चालक का0 अनुराग शुक्ला मय हमराह उ0नि0 वारिज, उ0नि0 अमलेश शुक्ला, का0 सुनील सरोज थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

द्वितीय टीम- उ0नि0 श्री अमित वर्मा, का० नरेन्द्र सिंह मय चालक हे का0 अशोक सिंह थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

स्वाट टीम- स्वाट टीम प्रभारी उपनिरीक्षक श्री अमित कुमार चौरसिया मय हमराह उपनिरीक्षक दिनेश सिंह, हे0का0 धनंजय राय, हे0का महेंद्र प्रताप, हे0का मोहित राज यादव, का0 जागीर सिंह,का0 राजेंद्र कुमार, का0 आशुतोष पाण्डे, का0 सलमान।

सर्विलांस टीम-
का0 सनोज, का0 संजय यादव, का0 सूर्य प्रताप सिंह, Hc चालक राजेंद्र प्रसाद।

प्रेस नोट दिनांक- 26.02.2026
थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा अपहरण के अभियोग से संबंधित 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया-

थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा बाल अपचारी को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत भैरवन मेला के पास से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी सांगीपुर श्री गौरव त्रिवेदी के नेतृत्व में उ0नि0 सुमित सिंह मय हहमराह का0 रविशंकर द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना अन्तर्गत धारा 137 (2)/87/351 (3)/61 (2) बीएनएस से संबंधित 01 बाल अपचारी को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत भैरवन मेला के पास से पुलिस अभिरक्षा में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. 01 बाल अपचारी।

पुलिस टीम-
उ0नि0 सुमित सिंह मय हहमराह का0 रविशंकर थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 26.02.2026
थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़

अवैध संबंध के चलते पति की हत्या की साजिश का खुलासा — थाना बाघराय पुलिस द्वारा सर्विलांस टीम के सहयोग से 04 अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार, 01 बाल अपचारी अभिरक्षा में; घटना में प्रयुक्त वाहन व जेवरात बरामद

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना बाघराय पुलिस की बड़ी कार्यवाही — अवैध संबंध के चलते रची गई हत्या की साजिश का पर्दाफाश, 04 अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार, 01 बाल अपचारी अभिरक्षा में, घटना में प्रयुक्त वाहन व जेवरात बरामद-

थाना बाघराय पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत गंगा एक्सप्रेसवे के नीचे ग्राम गोगौरी के पास से अभियुक्त/ अभियुक्ता व बाल अपचारी को गिरफ्तार किया गया है-

प्रतापगढ़।
वादिनी संगीता पत्नी शेषमणि निवासी ग्राम गोगौर, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना बाघराय पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि उनके पति, जो ग्राम प्रधान पिंटू सिंह के यहां कार्यरत थे, दिनांक उक्त को कार्य समाप्त कर घर वापस लौट रहे थे। जब वह हाईवे से पूर्व स्थित छोटी पुलिया के पास पहुंचे, तभी पूर्व से घात लगाए बैठे अज्ञात व्यक्तियों द्वारा धारदार एवं नुकीले हथियार से उन पर हमला कर दिया गया, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोटें आईं। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बाघराय पर मु0अ0सं0 11/2026 धारा 109(1) बीएनएस बनाम अज्ञात अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया। घटना में घायल वादिनी के पति का उपचार स्वरूपरानी अस्पताल, प्रयागराज में कराया जा रहा था। उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों एवं मृत्यु के दृष्टिगत अभियोग में धारा 103(1)/61(2)/3(5) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण/नेतृत्व में थाना प्रभारी बाघराय श्री श्रवण कुमार मय हमराह उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव, महिला उ0नि0 कीर्ति रमन, का0 अनिल कुमार यादव, का0 सचिन ठेनुआ, महिला का0 संजू देवी मय चालक हे0का0 राजाराम सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर दिनांक 26.02.2026 को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत गंगा एक्सप्रेसवे के नीचे ग्राम गोगौरी के पास से मु0अ0सं0 -11/2026 धारा 103 (1)/61 (2)/3(5) बीएनएस थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 04 अभियुक्त/ अभियुक्ता, 01. अभियुक्त सचिन यादव पुत्र बृजेश यादव नि०ग्राम गोगौर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 22 वर्ष, 02. अभियुक्त नागेश कुमार यादव पुत्र अजय कुमार यादव नि० ग्राम नेवाजी का पुरवा पुवांसी थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ उम्र 21 वर्ष, 03. अभियुक्त तस्लीम पुत्र मो0 मुस्लिम नि०ग्राम पनाह नगर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 19 वर्ष, 04. अभियुक्ता संगीता यादव पत्नी शेषर्माण यादव नि० गोगौर अहिरान थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष को गिरफ्तार व 05. 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

अभियुक्त सचिन यादव उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद माला मय लाकेट (पीली धातु), 01 अदद करधनी (सफेद धातु), 01 जोड़ी पायल (सफेद धातु), 02 जोड़ी कुल 12 नग बिछुआ (सफेद धातु), 01 जोड़ी झुमका (पीली धातु) तथा 04 नग पैर का कड़ा (सफेद धातु) बरामद किया गया। साथ ही अभियुक्तगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त वाहन सं0 UP 72 AU 6890 (टीवीएस मोटरसाइकिल) बरामद कर नियमानुसार धारा 207 एमवी एक्ट के अंतर्गत सीज किया गया है ।

पूछताछ का विवरण-
अभियुक्त सचिन यादव से जेवरों के बारे में पूछा गया बताया गया कि वह मृतक की पत्नी संगीता से लम्बे समय से अवैध सम्बन्ध था । उसी से हम दोनों की बाते होती थी, उसके पति शेषमणि को भी जानकारी हो गयी थी । मृतक अपनी पत्नी संगीता को इस बात को लेकर रोज दबाव डालता था तथा परेशान करता था । संगीता मुझसे मृतक को रास्ते से हटाने के लिये अक्सर कहती थी। हम लोगों ने प्लानिंग किया कि शेषमणि को रास्ते से हटा ही दिया जाये ताकि हम लोगो के रास्ते में कोई बाधा न रहे । संगीता ने मुझसे कहा था कि तुम किसी से बात करके मेरे पति शेषमणि को ठिकाने लगवा दो। जो भी खर्चा लगेगा उसका इन्तजाम किया जायेगा। साहब एक दिन संगीता अपना जेवरात लेकर रात में मुझसे मिली और बोली कि यह जेवरात रखलो इसे बेचकर मेरे पति शेषमणि को मरवा दो। अभियुक्त सचिन यादव ने अपने साथी 1. नागेश कुमार यादव, 2. तस्लीम, 3. अभिषेक गौतम से मिलकर शेषमणि को मरवाने का सौदा कर लिया । जिसमे मैने एडवांस में 20000 रुपया नगद इन लोगों को दिया था तथा 50000 रुपया काम होने के बाद देने का वादा किया था । दिनांक 06/01/2026 को जब शेषमणि ग्राम प्रधान पिन्टू सिंह के घर से काम करके घर वापस आ रहे थे तब रात को हम चारो लोग गंगा एक्सप्रेसवे हाईवे के पास अपने गांव आने वाली पक्की सडक किनारे पहले से घात लगाये बैंठे थे । जब शेषमणि वहां पहुंचे तो हम लोग योजना के अनुसार मैं व नागेश कुमार यादव व अभिषेक गौतम पीछे से शेषमणि को पकड़ लिये और तस्लीम ने अपने पास लिये लोहे की राड जिसमें साईकिल का दातेनुमा लोहे का चक्र जिसको पहले से बनवाकर रखे थे शेषमणि को जान से मारने की नियत से सीधे सिर पर जोर से प्रहार कर दिया । शेषमणि मौके पर ही गिर गये और बेहोश हो गये थे । इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का विवरण-

01. अभियुक्त सचिन यादव पुत्र बृजेश यादव नि०ग्राम गोगौर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 22 वर्ष।

02. अभियुक्त नागेश कुमार यादव पुत्र अजय कुमार यादव नि० ग्राम नेवाजी का पुरवा पुवांसी थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ उम्र 21 वर्ष।

03. अभियुक्त तस्लीम पुत्र मो0 मुस्लिम नि०ग्राम पनाह नगर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 19 वर्ष।

04. अभियुक्ता संगीता यादव पत्नी शेषमणि यादव नि० गोगौर अहिरान थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष।

05. 01 बाल अपचारी।

बरामदगी-

01 अदद माला मय लाकेट (पीली धातु), 01 अदद करधनी (सफेद धातु), 01 जोड़ी पायल (सफेद धातु), 02 जोड़ी (कुल 12 नग) बिछुआ (सफेद धातु), 01 जोड़ी झुमका (पीली धातु), 04 नग पैर का कड़ा (सफेद धातु), घटना में प्रयुक्त वाहन सं0 UP 72 AU 6890 (टीवीएस मोटरसाइकिल) बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

थाना प्रभारी बाघराय श्री श्रवण कुमार मय हमराह उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव, महिला उ0नि0 कीर्ति रमन, का0 अनिल कुमार यादव, का0 सचिन ठेनुआ, महिला का0 संजू देवी मय चालक हे0का0 राजाराम सिंह थाना बाघराय मय सर्विलांस टीम।

प्रेस नोट दिनांक 26.02.2026
थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 12 लीटर नाजायज देशी कच्ची शराब के साथ किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कुण्डा के उ0नि0 गोविंद सिंह चौहान व का0 उमांशंकर भारती द्वारा क्षेत्र में शांति व्यवस्था, जुर्म जरायम की रोकथाम एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जुगराजगड़ मजरा रैय्यापुर के पास से 01 अभियुक्त अमृतलाल निर्मल पुत्र स्व० छेदीलाल निवासी ग्राम जुगराजगढ़ मजरे रैय्यापुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ को 12 लीटर नाजायज देशी कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना कुण्डा पर मु0अ0सं0 46/26 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अमृतलाल निर्मल पुत्र स्व० छेदीलाल निवासी ग्राम जुगराजगढ़ मजरे रैय्यापुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ।

बरामदगी-

12 लीटर नाजायज देशी कच्ची शराब बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 गोविंद सिंह चौहान व का0 उमांशंकर भारती थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।